भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 551

गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को उत्तर देने हेतु

<u>मंत्रालय की उपलब्धियां</u>

551. श्री देवेंदर गौड टी.: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत ढाई वर्षों के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय की गत दो वर्ष की उपलब्धियों को प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया है तथा उसने किन-किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है;

(घ) आगामी तीन वर्षों के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या कार्ययोजना है;

(ड) प्रधान मंत्री के समक्ष लाई गई मुश्किलों का ब्यौरा क्या है तथा इनसे उबरने के लिए क्या सुझाव दिए गए; और

(च) आगामी तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय किन-किन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) पिछले ढाई वर्षों के दौरान ग्रिड संबद्ध अक्षय विद्युत के अंतर्गत 14.30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है जिसमें सौर विद्युत से 5.8 गीगावाट, पवन विद्युत से 7.04 गीगावाट, लघु पन बिजली से 0.53 गीगावाट और जैव विद्युत से 0.93 गीगावाट शामिल है।

(ख) और (ग): नीति आयोग ने 22 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री के समक्ष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सहित विभिन्न अवसंरचना मंत्रालयों की उपलब्धियाँ प्रस्तुत कीं। पवन विद्युत, सौर विद्युत निविदा की गई सौर विद्युत क्षमता, राज्य नीतियां आदि के अंतर्गत प्रगति और समग्र उपलब्धि संतोषजनक थी। तथापि आरपीओ अनुपालन, उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी, अक्षय ऊर्जा के निष्क्रमण के लिए पारेषण अवसंरचना के सृजन हेतु हरित ऊर्जा कॉरिडोर के कार्यान्वयन के क्षेत्रों में चिन्ता व्यक्त की गई।

(घ) अगले तीन वर्षों के लिए विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए अनुसार हैः-

स्रोत	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
सौर विद्युत	12,000	15,000	16,000
पवन	4,000	4,600	5,200
बायोमास	500	750	850
एसएचपी	225	100	100
कुल योग	**16,725**	**20,450**	**22,150**

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं जिनमें अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के ठोस प्रवर्तन और अक्षय ऊर्जा उत्पादन बाध्यता (आरजीओ) का प्रावधान करने हेतु शुल्क-दर नीति में संशोधन।
- विशिष्ट सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क का विकास;
- रुफटॉप परियोजनाओं के लिए बड़े सरकारी परिसरों/भवनों की पहचान;
- स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन विवरण और दिशानिर्देश के अन्तर्गत रूफटॉप सौर और 10 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा के प्रावधान को अनिवार्य बनाना;
- नव निर्माण अथवा उच्चतर फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) के लिए रूफटॉप सौर के अनिवार्य प्रावधान हेतु भवन निर्माण उप-नियमों में संशोधन;
- सौर परियोजनाओं के लिए अवसंरचना का दर्जा;
- कर मुक्त सौर बॉण्ड जुटाना;
- सौर रूफटॉप के निर्माण को बैंकों/राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा आवास ऋण का हिस्सा बनाना।
- वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) में उपायों को शामिल करना और नेट मीटरिंग को अनिवार्य बनाना;
- लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ हरित ऊर्जा कोष से निधियाँ जुटाना; और
- सौर परियोजनाओं की संस्थापना और देखरेख के लिए सूर्यमित्रों का विकास।

(ङ) समीक्षा बैठक में सूचित की गई प्रमुख कठिनाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आपूर्ति की आंतरायिक प्रकृति के कारण ग्रिड समकालीकरण की सीमाएं तथा अपर्याप्त निष्क्रमण और पारेषण अवसंरचना;
- वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बेची गई अक्षय विद्युत के भुगतान में विलंब;
- राज्य सरकारों द्वारा भूमि/स्थलों के आवंटन तथा सांविधिक वन संबंधी अनापत्तियों में विलंब;
- दूरस्थ क्षेत्रों जहाँ अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना की जाती है, में सर्विसिंग और देखरेख में कठिनाइयाँ;
- अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) का अनुपालन नहीं किया जाना;
- क्षेत्र के विकास के लिए अल्प ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता में कमी।

(च) आगामी वर्षों के दौरान मंत्रालय जिन प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं: ग्रिड इन्टरएक्टिव अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियाँ ताकि 2022 तक 175 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक अल्प लागत वित्त पोषण, अक्षय विद्युत के निष्क्रमण के लिए ट्रांसमिशन अवसंरचना का सृजन, देशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केन्द्रित करना, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष और अनुसंधान तथा विकास और योग्य तथा कुशल मानव शक्ति का सृजन।

*****